

22.10.19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीनी उषा।
 वकील वादीनी द्वारा राजस्व कार्ड विकल्प
 धारा 88, 40, 91, 188 RA Act का पेश
 करने पर प्रतिवादीगण के समन पेश करने
 के अर्थात् शिक्का दिये गये। मगर वकील
 वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण के समन पेश
 नहीं करते एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज
 में संपन्न नहीं काना पाया गया। वकील
 वादीनी उक्त कार्ड में अग्रीफ कार्रवाई
 हेतु कोई कार्रवाई नहीं काना अपालना
 की श्रेणी के अन्तर्गत है। वकील वादीनी
 का कार्ड अपालना करने से खारिज
 किया जाता है। पत्रावली फाइल शुद्ध होकर
 दाखिल दफ्तर हो। नम्बर ले कर ले।

(Signature)
 22/10/2019
 सहायक कलक्टर
 चौहटन